कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री जे0के0लक्ष्मी सीमेन्ट लि0,चौधरी मार्केट,निठारी,सेक्टर-31,नोएडा।**

प्रा0प0सं0- 323/**2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री डी0के0सिंघल,चार्टेड एकाउन्टेन्ट ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **प्लास्टर आफ पेरिस** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री डी0के0सिंघल,चार्टेड एकाउन्टेन्ट उपस्थित हुयें व बताया कि जिप्सम(GYPSuM) $CaSO_4$ 2H20 हेाता है व इसका anhydrite from $CaSO_4$ 1/2 H20 plaster of paris हेाता है । plaster of paris GYPSuM का ही एक रुप है। GYPSuM शिडयूल-2 के भाग-क के कमांक-55 पर अंकित प्रविष्टि "Gypsum of all forms & descriptions " के अन्तर्गत है। plaster of paris mineral and ores के अन्तर्गत भी आता है जो शिडयूल-2 के भाग-क के कमांक-89 पर अंकित प्रविष्टि में है।इसको केमिकल भी माना जा सकता है जो कि शिडयूल-2 के भाग-क के कमांक-29 पर अंकित है। अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, का अवलोकन किया। मैसर्स जिप्सोना इण्डस्ट्रीज ,जस्साराम रोड,हरिद्वार के वाद में (प्रार्थना पत्र संख्या-एस0टी0ए0-33/1989) दिनांक 18-5-1989में धारा-35 के अन्तर्गत पारित आदेश में आयुक्त बिकीकर , लखनऊ द्वारा plaster of paris को all kind of minerals. के अन्तर्गत माना है । अतः plaster of paris वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के कमांक 89 पर अंकित प्रविष्टि के आधीन 4प्रतिशत से करयोग्य है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक ::25-9-2008

ह0/25-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि